हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय

विवरणिका

2013-2014

क्षेत्रीय केन्द्र, खनियारा, धर्मशाला

मूल्य - 150 रुपये

डाक से - 200 रुपये

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय – कुलगीत

पवित्रित वेदमंत्रों से मनोरम देवभूमि-निलय
विराजे नवल नालन्दा उन्हीं की छाँव में मधुमय
हिमाचल विश्वविद्यालय
विविध विद्यावलय, जय जय !!

धरा जो शक्तिपीठों की, धरा शत कोटि तीर्थों की
धरा जो शैलसंस्कृति की, धरा जो नृत्य-गीतों की
जहाँ रावी-विपाशा चन्द्रभागा पुण्य सलिलायें
कुसुम गलहार बनती हैं शतद्रु संग, सरितायें
धरा माण्डव्य ऋषि की परम पावन, ज्ञानमय-चिन्मय
हिमाचल विश्वविद्यालय
विविधविद्यावलय, जय जय !!

जहाँ तक रम्य धौलाधार पर्वत-शृंखला दिखतीं
वहाँ तक ज्ञान मधु रश्मियाँ नितफैलती रहतीं
थिरकते पाँव नाटी पर, लरजते गीत चम्बा के
स्वयं श्री शारदा साकार हो उठतीं उन्हें गाके
लिये 'शास्त्रे च शस्त्रे कौशलम्' का मंत्र जो निर्भय
हिमाचल विश्वविद्यालय
विविधविद्यावलय, जय जय !!

तपोरत देवदारु खड़े तथागत-सदृश हैं लगते
सुभग सन्देश मैत्री का निरन्तर बाँटते रहते
हिमाचल का परम गौरव, सदन विद्या-कलाओं का
सदन विज्ञान का, तकनीकियों का, योग्यताओं का
निरन्तर बढ़ रहा आगे उदित रवि सा, सतत समुदय
हिमाचल विश्वविद्यालय
विविधविद्यावलय, जय जय !!

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय

समरहिल, शिमला-171005

आचार्य अरूण दिवाकर नाथ वाजपेयी
कुलपति

संदेश

मुझे यह जानकर हर्ष हो रही है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के धर्मशाला स्थित क्षेत्रीय केन्द्र में शैक्षणिक सत्र 2015-16 में छंटनी परीक्षा के माध्यम से व वरीयता आधारित प्रवेश प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए रूपरेखा बना ली है।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के बाद शोध और विस्तार कार्य में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं तथा यह विश्वविद्यालय पूरे राज्य का केवल एक मात्र सम्बद्धता प्रदान करने के अतिरिक्त अकेला सह- अस्तित्व के लगभग चौतालिस वर्षो में शिक्षा के प्रचार-प्रसार में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं तथा यह विश्वविद्यालय पूरे राज्य का केवल एक मात्र सम्बद्धता प्रदान करने के अतिरिक्त अकेला सह-आवासीय उच्च शिक्षा का प्रगतिशील केन्द्र है।

वर्तमान समय में धर्मशाला स्थित क्षेत्रीय केन्द्र के माध्यम से उच्चतर शिक्षा को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा रहा हैं।

मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय के इस केन्द्र में उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त वातावरण के साथ-साथ यहां का मौसम भी अति अनुकूल है।

मैं यहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने वाले सभी छात्र-छात्राओं को अपनी शुभकामनायें देता हूँ।

(प्रो. ए.डी.एन. वाजपेयी)
कुलपति

दूरभाष नं. 0177-2831363 (का.) 0177-2815207 (आवास) फैक्स : 0177-2830775
ई-मेल : bajpaipersonal@yahoo.com Website : www.adnbajpai.org

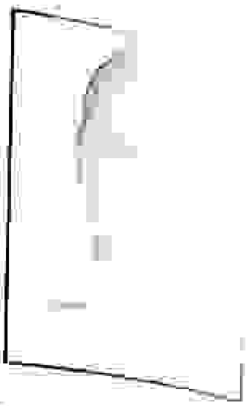

आचार्य कुलवंत सिंह राणा
निदेशक

निदेशक की कलम से ...

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, धर्मशाला विगत 23 वर्षों से निरंतर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के भविष्य निर्माण में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही है। हमने विगत वर्षों में कई अधिवक्ता, अर्थशास्त्री, गणितज्ञ, प्रशासक, राजनीतिज्ञ, व्याख्याता आदि समाज को समर्पित किये हैं। यह सर्वविदित है कि किसी भी देश की शिक्षा, चिन्तन और उसका ज्ञान-विज्ञान राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक होता है। ज्ञान और शिक्षा व्यक्ति को संकीर्णता के दायरे से मुक्त करती है। पंडित जवाहर लाल नेहरू भी शिक्षा को मुक्तदायिनी मानते थे। और हम शिक्षा के बिल्कुल बाजारीकरण के विरुद्ध हैं। हमारा विश्वास शिक्षा के मूलभूत आवश्यकताओं में है। हमारा प्रयास है कि शिक्षा सर्वसुलभ हो। शिक्षा को किसी खास वर्ग तक सीमित करना नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है। हम जानते हैं कि ज्ञान-विज्ञान में भारत का नाम प्राचीन काल से ही विश्व भर में विख्यात रहा है जितना तत्व चिंतन भारत में हुआ है उतना शायद अन्यत्र कहीं नहीं हुआ। नालन्दा और तक्षशिला के विश्वविख्यात विश्वविद्यालय इसके साक्षी हैं।

इसी क्रम को सतत् बनाये रखने के लिए क्षेत्रीय केन्द्र, धर्मशाला भी प्रयासरत है। अपने स्थापना काल में 6 विषयों को संजों कर आज 12 विषयों में केन्द्र अपना योगदान दे रही है। वर्तमान में नई रोजगारन्मुखी पाठ्यक्रम को भी प्रारंभ करने की योजना के अन्तर्गत इस सत्र से एम.बी.ए., एम.सी.ए. तथा एम.फिल. शुरू किए जा रहे हैं । जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा का माहौल बनाने के लिए व्यवस्थित भवन की आवश्यकता है और इस दिशा में विश्वविद्यालय द्वारा महत्त्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। जिस के फलस्वरूप माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश द्वारा 30 अक्तूबर, 2013 को विधिवत उद्घाटन कर क्षेत्रीय केन्द्र को सौंपा गया। अतः शीतकालीन अवकाश के बाद फरवरी 2014 से खनियारा में कक्षाएँ आरम्भ कर दी गई हैं।

हम सब जानते हैं कि हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पोषक रही है। हिमालय की गोद में बहती हजारों नदियाँ मानव सभ्यता के विकास की गाथाएं गा रही हैं। आएं हम सब अपने विरासत को समेट कर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय का देश के पटल पर अमिट छाप छोड़ें।

धन्यवाद सहित

आपका शुभेच्छु

(आचार्य कुलवंत सिंह राणा)
निदेशक

अनुक्रमणिका

1.	पृष्ठ भूमि	1
2.	विभिन्न संकाय एवं अध्ययन विभाग	2
3.	विधि अध्ययन पीठ	5
4.	गणित, हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थ शास्त्र, लोक प्रशासन, राजनीति शास्त्र, संस्कृत विभाग	7
5.	वाणिज्य विभाग	9
6.	भू-गर्भ-विज्ञान विभाग	10
7.	पत्रकारिता व जनसंचार विभाग	11
8.	पी०जी०डी०सी०ए०	11
9..	विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश का आधार	12
10.	रंगनाथन पुस्तकालय	20
11.	शुल्क विवरण	22
12.	प्रकाशन विभाग	24
13.	शोध कार्य सम्बन्धी सुविधा	25
14.	हि.प्र. वि.वि. अर्न्तराष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवम् मुक्त अध्ययन केन्द्र, सूचना एवम् मार्गदर्शन केन्द्र	25
15.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पदाधिकारी	26
16.	क्षेत्रीय केन्द्र के महत्वपूर्ण टैलीफोन नम्बर	26
17.	संकाय सदस्य	27
18.	रैगिंग सम्बन्धी प्रावधान	28

प्रकाशन विभाग
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
क्षेत्रीय केन्द्र, मोहली, खनियारा, धर्मशाला
जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)–176218

अप्रैल, 2015

मूल्य 160/– रूपये (डाक द्वारा 200/– रू0)

मुद्रक :
इम्पीरियल प्रिंटिंग प्रैस, धर्मशाला
(दूरभाष : 01892–222390)

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
क्षेत्रीय केन्द्र, धर्मशाला

1 पृष्ठ भूमि

1966 में पंजाब के पुर्नगठन के उपरान्त हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल एवं स्वरूप दोनों में परिवर्तन हुआ । सबसे ज्यादा आवश्यकता थी उच्च शिक्षा के प्रयासों को एक नयी दिशा देने की और पर्वतीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा को ढालने की । पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ का शिमला स्थित क्षेत्रीय केन्द्र काफी अरसे से इस पर्वतीय क्षेत्र में उच्च शिक्षा की आवश्यकताऐं पूरी कर रहा था । इसी पृष्ठ भूमि में जुलाई 1970 में क्षेत्रीय केन्द्र के स्थान पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रदेश विधानसभा ने अधिनियम पारित किया। नये विश्वविद्यालय ने प्रदेश के महाविद्यालयों को सम्बद्धता भी प्रदान की और साथ ही आवासीय विश्वविद्यालय की सार्थक भूमिका में भी पदार्पण किया ।

लेकिन देखते देखते दो दशकों में ही पूरे प्रदेश में जिस तेजी से उच्च शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ उससे अनुभव किया जाने लगा कि प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्तर की संरचना उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ताकि उच्च शिक्षा का विकेन्द्रीयकरण हो सके । इसी दिशा में प्रथम पग उठाते हुए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जुलाई 1992 में धर्मशाला में क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना की ।
प्रारम्भ में इस केन्द्र में एम0ए0 और एम0 कॉम0 पाठ्यक्रम ही प्रारम्भ किये गये ।
1999 में ही क्षेत्रीय केन्द्र में एम.एस.सी. गणित, एम.ए. लोक प्रशासन तथा विधि अध्ययन पीठ की स्थापना से केन्द्र ने अपने विस्तार की दिशा में एक लम्बी छलांग लगाई । 2009–10 के शिक्षा सत्र से पत्रकारिता का

पाठ्यक्रम एम.एस.सी. शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त 2011–12 सत्र से एम.ए. संस्कृत एवं पी.जी.डी.सी.ए. की कक्षाएं भी शुरू की गई।

वर्तमान सत्र 2015–16 से क्षेत्रीय केन्द्र धर्मशाला में M.B.A. एवं M.C.A. की कक्षाऐं भी शुरू की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त वाणिज्य विभाग, गणित, राजनीति शास्त्र / अंग्रेजी विभाग एवं अर्थशास्त्र विभाग में M.Phil (Self Financing) की पांच–2 सीटें भी इसी सत्र से शुरू की जा रही है।

2 विभिन्न संकाय एवं अध्ययन विभाग

क्षेत्रीय केन्द्र में विभिन्न संकाय/विभाग निम्नानुसार हैं ।

क) वाणिज्य संकाय

1) M.B.A.

2) वाणिज्य विभाग (Morning Session)

ख) भाषा संकाय

1) अंग्रेजी विभाग

2) हिन्दी विभाग (Afternoon Session)

3) संस्कृत विभाग (Afternoon Session)

ग) विधि संकाय

1) विधि अध्ययन पीठ

घ) आधारभूत विज्ञान संकाय

1) गणित विभाग

2) भू-गर्भ-विज्ञान (Geology) विभाग (Afternoon Session)

च) समाज विज्ञान संकाय

1) अर्थ शास्त्र विभाग

2) राजनीति विज्ञान विभाग

3) पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग (Afternoon Session)

4) लोक प्रशासन विभाग

छ) कम्पयुटर विभाग

1) M.C.A.

2) पी.जी.डी.सी.ए. (Afternoon Session)

सभी विभागों की कक्षाएँ क्षेत्रीय केन्द्र, मोहली, खनियारा में संचालित की जा रही हैं।

2.1 केन्द्र में विभिन्न पाठ्यक्रम और उपलब्ध सीटें

<u>एम0ए0</u>	
हिन्दी	35 + (15 नान सबसिडायजड)
अंग्रेजी	35 + (15 नान सबसिडायजड)
राजनीति विज्ञान	35 + (15 नान सबसिडायजड)
अर्थ शास्त्र	35 + (15 नान सबसिडायजड)
संस्कृत	35 + (15 नान सबसिडायजड)
लोक प्रशासन	35 + (15 नान सबसिडायजड)
<u>एम0एस0सी0</u>	
गणित	35 + (15 नान सबसिडायजड)
भू-गर्भ-विज्ञान (Geology)	20
एम0कॉम0	35 + (15 नान सबसिडायजड)
एम०एम०सी०	20
पी०जी०डी०सी०ए०	10 + 20 (नान सबसिडायजड)
एल०एल०बी०	30 + 50 (नान सबसिडायजड)
एम०बी०ए०	30 (नान सबसिडायजड)
एम०सी०ए०	30 (नान सबसिडायजड)

नोट – प्रत्येक विभाग में एक सीट (Single Girl Child) के लिए सुरक्षित रहेगी।

2.2 प्रवेश / शिक्षण / परीक्षा / अवकाश समय सारणी

(क) एल०एल०बी० के लिए प्रवेश हेतु क्षेत्रीय केन्द्र के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करवाने की अन्तिम तिथि– 30 अप्रैल, 2015 को सांय 5 बजे तक ।

(ख) अन्य सभी विषयों व पाठ्यक्रमों में आवेदन पत्र जमा करवाने की अन्तिम तिथि 30 जून, 2015 को सांय 5 बजे तक ।

2.2.1. प्रवेश परीक्षा की समय सारणी (एल.एल.बी. के आवेदकों के लिए)

i) प्रवेश परीक्षा एल.एल.बी. – 8 मई 2015 (शुक्रवार) समय 10.00 बजे प्रातः

ii) परिणाम घोषणा की तिथि – 9 जून 2015

iii) साक्षात्कार की तिथि – पत्र द्वारा सूचित की जाएगी।

क) प्रवेश परीक्षा केन्द्र – हि.प्र. विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, मोहली, खनियारा, धर्मशाला

ख) साक्षात्कार तिथि के समय क्वालीफाईंग परीक्षा–परिणाम प्रस्तुत करने की पूर्ण जिम्मेवारी अभ्यर्थी की होगी । यदि अभ्यर्थी को समय पर परीक्षा–परिणाम घोषित न होने की आशंका हो तो वह साक्षात्कार की तिथि और समय पर उसे विश्वविद्यालय से गुप्त रूप से प्राप्त करके प्रस्तुत करें ।

ग) सभी छात्र जिन्होंने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और साक्षात्कार के योग्य है, यदि उन्हें साक्षात्कार के लिए केन्द्र से पत्र नहीं भी मिलता है तो भी वे उपरोक्त तिथि को साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते हैं।

शिक्षण कार्य दिवस

i)	III/V सेमेस्टर कार्यक्रम	1 जुलाई 2015 से 12 नवम्बर 2015 तक.
ii)	II/IV/VI सेमेस्टर कार्यक्रम	20 फरवरी 2016 से 28 मई 2016
iii)	I सेमेस्टर	20 जुलाई 2015 से 9 नवम्बर 2015 तक

परीक्षा की तैयारी के दिवस

i)	शरद	13 नवम्बर 2015 से 22 नवम्बर 2015 तक
ii)	ग्रीष्म	29 मई 2016 से 5 जून 2016 तक

परीक्षा समय सारणी

1	I/ III/V समेस्टर	23 नवम्बर 2015 से 31 दिसम्बर 2015 तक
2.	II/IV/VI समेस्टर	06 जून 2016 से 30 जून 2016 तक

अवकाश समय सारणी

i)	शरद अवकाश	01 जनवरी 2016 से लेकर 19 फरवरी 2016
ii)	ग्रीष्म अवकाश	20 जून 2016 से लेकर 25 जून 2016 तक

3. विधि अध्ययन पीठ :

3.1 **विधि संकाय** – क्षेत्रीय केन्द्र में विधि संकाय के अन्तर्गत विधि अध्ययन पीठ की स्थापना 1999 में हुई । फिलहाल इस पीठ में तीन वर्षीय एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम के अध्ययन की व्यवस्था है । यह पाठ्यक्रम छः सैमेस्टरों में विभाजित है।

3.2 **सीटों की संख्या** – एल0एल0बी0 में कुल 80 सीटें उपलब्ध हैं । इन में से 30 सीटें सबसिडाईजड श्रेणी की और 50 सीटें नॉन सबसिडाईजड श्रेणी की हैं।

3.3 प्रवेश के लिए पात्रता : एल0एल0बी0 में प्रवेश के लिए प्रार्थी ने विधि द्वारा स्थापित किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक की परीक्षा कम से कम 45 प्रतिशत अंक लेकर उत्तीर्ण की हो । अनुसूचित जाति या जनजाति के प्रार्थियों के लिए 40 प्रतिशत अंकों का होना अनिवार्य है ।

3.4 **प्रवेश एवं आरक्षण का आधार :** इस पाठ्यक्रम में प्रवेश, एक प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा । इस प्रवेश परीक्षा में कोई भी प्रार्थी जो पाठ्यक्रम में प्रवेश की न्यूनतम योग्यता (3.3 के अनुसार) को पूरा करता हो, बैठ सकता है । प्रवेश देते समय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा घोषित आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा ।

प्रवेश परीक्षा 100 अंकों की होगी । लिखित परीक्षा दो भागों में विभाजित होगी प्रथम भाग में सामान्य ज्ञान, भारतीय संविधान, सरकारों के प्रकार, सामान्य विधि समीक्षा एवं किसी दिये गये गद्यांश को पढ़ने के उपरान्त उससे सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता से ताल्लुक रखने वाले प्रश्न पूछे जायेंगे । परीक्षा अवधि एक–डेढ घंटे की होगी और प्रश्न अनेक वैकल्पिक उत्तरों वाले होंगे ।

3.5 (i) इस सूत्र के आधार पर मैरिट निर्धारण केवल उन्हीं प्रार्थियों का किया जायेगा, जिन्होंने लिखित परीक्षा में 35 प्रतिशत अंक प्राप्त किये होंगे ।

परन्तु अनुसूचित जाति या जनजाति के प्रार्थियों के लिए लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंक का प्रतिशत तब तक घटाया जाता रहेगा, जब तक उनके लिए आरक्षित सभी स्थान भर नहीं लिये जाते ।

(ii) जिन विद्यार्थियों ने एल0एल0बी0 में प्रवेश हेतु निर्धारित क्वालिफाइंग डिग्री के लिए परीक्षा दी हुई है, लेकिन उनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है, वे भी लिखित प्रवेश

परीक्षा में बैठ सकते हैं। लेकिन साक्षात्कार/ प्रवेश की अन्तिम तिथि तक उन्हें अपना परीक्षा परिणाम अंक तालिका सहित दिखाना होगा ।

3.6 मैरिट सूची की प्राथमिकता के आधार पर प्रथम 30 सबसिडाइजड सीटें भरी जायेंगी। तत्पश्चात् मैरिट सूची के अनुसार नॉन सबसिडायजड की शेष सीटें भरी जायेंगी ।

ख) प्रवेश की शर्तें (3.3)(3.4) व 3.5 के अनुसार ही रहेंगी ।

3.7 फीस :– नॉन सबसिडायजड श्रेणी छात्रों को सामान्य फीस के अलावा निम्न निर्धारित अतिरिक्त फीस निम्नानुसार देनी होगी ।

नॉन सबसिडायजड 15,000 रू0 वार्षिक

3.8 आवेदन कैसे करें –

आवेदन पत्र के साथ वित्त अधिकारी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के नाम देय 700/– रू0 का (अनुसूचित जाति / जनजाति, अन्त्योदय / आई0आर0डी0पी0 के प्रार्थी 350/– रू0 का) बैंक ड्राफट/आई0पी0ओ0 अवश्य संलग्न करें ।

3.9 01 जुलाई 2015 को आवेदक पुरूषों की आयु 26 वर्ष , आवेदक महिलाओं की आयु 28 वर्ष और अनुसूचित जाति और जनजाति के आवेदकों की आयु 29 वर्ष से कम होनी चाहिए।

4 गणित, हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थ शास्त्र, लोक प्रशासन, राजनीति शास्त्र, संस्कृत विभाग

4.1 विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता–

एम0ए0 (गणित, हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थ शास्त्र, लोक प्रशासन, राजनीति शास्त्र विज्ञान)

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में अथवा जिस विषय की एम0ए0 में प्रवेश लेना चाहते हैं उस विषय में 45 प्रतिशत अंकों सहित अथवा जिस विषय की एम0ए0 में प्रवेश लेना चाहता है उस विषय में आनर्ज सहित कोई भी निम्न परीक्षा उत्तीर्ण की हो। बी0ए0 / बी0एस0सी0 / बी0कॉम0 / बी0एस0सी0(कृषि) / बी0एस0सी0(गृहविज्ञान) / बी0एस0सी0(इंजनीयरिंग) / एम0बी0बी0एस0 / बी0ए0एम0एस0 / जी0ए0एस0एस0 / बी0 फार्म / बी0टी0 / बी0एड0 / बी0 लिब0 साइंस / बी0एल0 / बी0बी0एस0सी0 / बी0टेक0 / वशिष्ट शास्त्री / बी0बी0ए0 / बी0सी0ए0 । (S.C. / S.T.) को न्यूनतम योग्यता में 5% छूट दी जाएगी।

अथवा

किसी विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री जिसे कुलपति ने प्रवेश के लिए समकक्ष की मान्यता प्रदान कर दी हो। लेकिन उन सभी शर्तों को पूरी करना जरूरी होगा जो इस मान्यता के साथ लगाई गई हो ।

विशेष: यदि किसी प्रार्थी ने लोक प्रशासन या समाज विज्ञान के विषय में 45 प्रतिशत अंक लेकर बी0ए0 की परीक्षा पास की हो तो वह एम0ए0 (राजनीति विज्ञान) में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकता है ।

4.2 आवेदन कैसे करें :

प्रार्थी निर्धारित आवेदन पत्र भर कर नियत तिथि तक क्षेत्रीय केन्द्र के कार्यालय में जमा करवाए। आवेदन के साथ निदेशक, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, मोहली, खनियारा, धर्मशाला के नाम देय 500/– रु0 का बैंक ड्राफ्ट (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अन्तयोदय/आई0आर0डी0पी0 के प्रार्थी 250/– रु0 का) बैंक ड्राफ्ट अवश्य संलग्न करें ।

5.A वाणिज्य विभाग :

5.1 एम0कॉम0 (प्रवेश होने के लिए पात्रता)

बी.कॉम0 / बी0कॉम(आनर्ज) / बी0बी0ए0 अथवा कामर्स विषय सहित बी0ए0 अथवा एम0ए0(अर्थ शास्त्र / सांख्यिकी / गणित) 50 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण

अथवा

बी0ए0 / बी0एस0सी0 की डिग्री अर्थ शास्त्र / गणित / सांख्यिकी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो लेकिन अर्थ शास्त्र / गणित / सांख्यिकी विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों और परीक्षा भी न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की हो ।

5.2 **(एम0 कॉम) में प्रवेश का आधार**

एम0कॉम0 में प्रवेश हेतु सबसें पहले बी0कॉम0 (आनर्ज) उत्तीर्ण प्रार्थियों को अधिमान दिया जायेगा । उसके बाद यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो अन्य श्रेणियों के प्रार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा ।

5.3 **आवेदन कैसे करें :**

प्रार्थी निर्धारित आवेदन पत्र भर कर नियत तिथि तक क्षेत्रीय केन्द्र के कार्यालय में जमा करवाए । आवेदन के साथ निदेशक, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, धर्मशाला के नाम देय 500/– रू0 का बैंक ड्राफ्ट (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अन्तयोदय / आई0आर0डी0पी0 के प्रार्थी 250/– रू0 का) बैंक ड्राफ्ट अवश्य संलग्न करें।

5.B एम०बी०ए० (M.B.A.)

प्रवेश का आधार

M.B.A. में प्रवेश विश्वविद्यालय के H.P. University Business School की प्रवेश परीक्षा (HPU-MAT) के माध्यम से ही किया जाएगा। न्युन्तम योग्यता

/ आयु सीमा एवं अन्य निर्धारित मापदण्ड हि०प्र०वि० Business School की विवरणिका अनुसार ही रहेंगे।

विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केन्द्र में प्रवेश के इच्छुक प्रार्थियों का Group Discussion एवं Personal Interview क्षेत्रीय केन्द्र धर्मशाला में ही होगा। अंकों का विवरण इस प्रकार रहेगा –

1)	HPU - MAT	–	50 Marks
2)	Matric, +2 & Graduation Academic Weightage	–	Total 30 Marks (10 Marks Each)
3)	Group Discussion	–	10 Marks
4)	Personal Interview	–	10 Marks

6 भू-गर्भ-विज्ञान विभाग :

यह विभाग केन्द्र का सबसे पुराना विभाग है । इसमें एम०एस०सी० (भू–गर्भ विज्ञान) के अध्ययन की व्यवस्था है और 20 सीटें उपलब्ध हैं ।

6.1 प्रवेश के लिए योग्यता

प्रार्थी ने विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से भू-गर्भ-विज्ञान विषय सहित द्वितीय श्रेणी या 45 प्रतिशत अंकों से (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, के छात्रों के लिए 40 प्रतिशत) बी०एस०सी० की परीक्षा उत्तीर्ण की हो । अथवा भू-गर्भ-विज्ञान में बी०एस०सी० आनर्ज की परीक्षा पास की हो ।

6.2 आवेदन कैसे करें :

प्रार्थी निर्धारित आवेदन पत्र भर कर नियत तिथि तक क्षेत्रीय केन्द्र के कार्यालय में जमा करवाए । आवेदन के साथ निदेशक, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, मोहली, खनियारा, धर्मशाला के नाम देय 500/– रु० का बैंक ड्राफट (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अन्त्योदय / आई०आर०डी०पी० के प्रार्थी 250/– रु० का) बैंक ड्राफट अवश्य संलग्न करें।

7. पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग :

क) मास्टर इन मास कम्युनिकेशन (MMC) (दो वर्ष)

7.1 प्रवेश के लिए योग्यता : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर की परीक्षा 50% अंकों के साथ की हो।

7.2 आयु सीमा : विश्वविद्यालय द्वारा उद्घोषित नियमों (एम०ए० / एम०एस०सी०) के लिए मान्य लागू होगी।

7.3 प्रवेश का आधार : विषय में दाखिला मैरिट के आधार पर होगा।

8.A एम०सी०ए० (M.C.A.)

प्रवेश का आधार : M.C.A. में प्रवेश विश्वविद्यालय के Computer Science Deptt. की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही किया जाएगा। न्युन्तम योग्यता / आयु सीमा एवं अन्य निर्धारित मापदण्ड हि०प्र०वि० Computer Science की विवरणिका अनुसार ही रहेंगे।

8.B पी०जी०डी०सी०ए०

8.1 प्रवेश के लिए योग्यता : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर की परीक्षा 50% अंकों के साथ की हो।

8.2 आयु सीमा : विश्वविद्यालय द्वारा उद्घोषित नियमों (एम०ए० / एम०एस०सी०) के लिए मान्य लागू होगी।

9. विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश का आधार

9.1 विभिन्न पाठ्यक्रमों (एम०कॉम०, एल०एल०बी० को छोड़कर) में प्रवेश का आधार क्वालिफाईंग परीक्षा में प्राप्त अंक ही होंगे। इसका निर्धारण निम्न सूत्र के आधार पर किया जायेगा।

क) यदि प्रार्थी उस विषय की एम०ए० डिग्री हेतु प्रवेश लेना चाहता है, जो विषय उसने स्नातक स्तर पर उत्तीर्ण किया है –

$$\frac{\text{क्वालिफाइंग परीक्षा में प्राप्त अंक + स्नातक स्तर पर पढ़े गये सम्बन्धित विषय में प्राप्त अंक}}{\text{कुल अंक (डिग्री + विषय)}} \times 100$$

ख) यदि प्रार्थी उस विषय की एम०ए० डिग्री हेतु प्रवेश लेना चाहता है, जो उसने स्नातक स्तर पर नहीं पढ़ा

$$\frac{\text{क्वालिफाइंग परीक्षा में प्राप्त अंक + 0 अंक}}{\text{कुल अंक (डिग्री + विषय)}} \times 100$$

ग) पात्रता की न्यूनतम योग्यता सभी प्रार्थियों पर समान रूप से लागू होगी।

घ) मैरिट का निर्धारण करते समय निम्न प्रार्थियों, जिनके पास एन०सी०सी०,एन०एस०एस० या स्काउटिंग के प्रमाण पत्र हों, को निम्नानुसार अतिरिक्त अंक लाभ दिया जायेगा।

1) एन०एस०एस० के लिए 2 प्रतिशत अंक।
2) एन०सी०सी० के सी० सर्टिफिकेट (लड़कों के लिए) के 2 प्रतिशत अंक।
3) एन०सी०सी० के जी० सर्टिफिकेट (लड़कियों के लिए) के 2 प्रतिशत अंक।
4) पौढ़ शिक्षा साक्षरता के अनुदेशकों के लिए 2 प्रतिशत अंक।
5) प्रैसीडैंट स्काउट हेतु 3 प्रतिशत अंक और एन०सी०सी० में राष्ट्रीय स्तर पर भागीदार हेतु भी 3 प्रतिशत अंक।

6) अन्तर्राष्ट्रीय सहभागिता हेतु 5 प्रतिशत अंक।

7) आनर्ज परीक्षा उत्तीर्ण प्रार्थियों हेतु 10 प्रतिशत अंक बशर्ते की उसी विषय में प्रवेश वांछित जिस विषय में आनर्ज परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

8) यदि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अन्तर–महाविद्यालय क्रीडा प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया है तो 2 प्रतिशत अंक।

9) कम से कम 2 साल तक अन्तर विश्वविद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता में यदि विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो तो 5 प्रतिशत अंक।

सूचना :

1) उपरोक्त 1 से 6 और 8 व 9 श्रेणियों में से प्रार्थी को केवल किसी एक मद का ही लाभ दिया जा सकता है । ध्यान रहे कि प्रार्थी ने प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक पात्रता की शर्त अवश्य पूरी की हो । प्रवेश के लिए वांछित न्यूनतम अंकों में इनमें से किसी श्रेणी का लाभ नहीं जोडा जायेगा ।

2) विकलांगो के लिए आरक्षित स्थानों के लिए यदि कोई सूरदास भी प्रार्थी हैं तो उसे मैरिट निर्धारण में पांच प्रतिशत अंकों का लाभ दिया जायेगा । बशर्ते की वह प्रवेश हेतु वांछित न्यूनतम अंकों की शर्त पूरी करता हो ।

9.2 आयु सम्बन्धी पात्रता :–

1 किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए, जिस वर्ष में छात्र प्रवेश के लिए आवेदन कर रहा है, उस वर्ष की प्रथम जुलाई को उसकी आयु 26 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए । लडकियों के लिए यह आयु सीमा 28 साल है और अनुसूचित जाति व जनजातियों के छात्रों के लिए 29 साल है ।

2 कारणों के औचित्य को लिपिबद्ध करते हुए कुलपति किसी भी प्रार्थी को प्रवेश के लिए निर्धारित आयु सीमा में छः मास की छूट दे सकते है । प्रवेश के लिए आयु सीमा का नियम राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा नामित प्रार्थी पर लागू नहीं होगा ।

9.3 आरक्षण का आधार–

क) प्रत्येक पाठ्यक्रम में 15 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति एवं 7.5 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजाति के ऐसे छात्रों के लिए आरक्षित होंगे जिन्होंने क्वालिफाईंग परीक्षा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला या हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर या औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय सोलन से उत्तीर्ण की हो ।

ख) शेष 77.5 प्रतिशत स्थान निम्नानुसार आरक्षित होंगे ।

1) 25 प्रतिशत स्थान सभी छात्रों के लिए उपलब्ध रहेंगे जिन्होंने अपनी क्वालिफाईंग परीक्षा चाहे कहीं से भी और किसी भी संस्थान से उत्तीर्ण की हो। लेकिन वह संस्थान मान्यता प्राप्त हो ।

2) 75 प्रतिशत उन प्रार्थियों में से भरे जायेंगे जिन्होंने क्वालिफाइंग परीक्षा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर या औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय सोलन से उत्तीर्ण की हो। लेकिन इन स्थानों को भरते समय निम्न प्रकार से आरक्षण भी प्रदान किया जायेगा।

3) 5 प्रतिशत स्थान उच्च कोटी के खिलाडियों के लिए आरक्षित होंगे ।

4) 5 प्रतिशत स्थान उच्च कोटी के सांस्कृतिक कर्मियों के लिए आरक्षित होंगे।

5) 3 प्रतिशत स्थान शारीरिक रूप से अपंग विद्यार्थियों के लिए होंगे ।

6) अनुसूचित जाति / जनजाति विद्यार्थियों /उच्च कोटी के खिलाड़ियों के लिए प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता अन्य प्रार्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंकों से 5 प्रतिशत कम अंकों की होगी।

7) शारीरिक अपंगता हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार 40 प्रतिशत या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी प्रार्थी इस श्रेणी में प्रवेश हेतु पात्र माना जायेगा। इस श्रेणी के प्रार्थियों को आयु में पाँच साल की छूट दी जाएगी।

9.4 अंक बराबर रहने की स्थिति में निर्णय

विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए यदि दो या अधिक प्रार्थियों के अंक बराबर रहें तो इसके निर्णय के लिए निम्नलिखित पद्धति का अनुसरण किया जायेगा ।

1. अंक बराबर रहने की स्थिति में उस प्रार्थी को प्रवेश में प्राथमिकता दी जायेगी जिसके स्नातक/स्नातकोतर स्तर पर कुल प्राप्त अंकों का योग (पाठ्येत्तर गतिविधियों के लिए दिये गये अधिमान को छोड़ कर) अधिक बनता हो ।
2. यदि उपरोक्त नियम द्वारा भी निर्णय संभव न हो तो उस प्रार्थी को जिसके स्नातकोतर स्तर पर अध्ययन विषय में प्राप्तांक अधिक होंगे, को प्रवेश दिया जायेगा।
3. यदि फिर भी निर्णय न हो पाये तो उस प्रार्थी का प्रवेश पहले होगा जिसके निम्नलिखित परीक्षाओं में से किन्हीं दो परीक्षाओं में कुल प्राप्तांक अधिक होंगे।

मैट्रिक/उच्च स्तर माध्यमिक प्रथम भाग, उच्च स्तर माध्यमिक द्वितीय भाग प्रेप/प्री मेडिकल /प्री इंजीनियरिंग /इन्टरमीडियेट/ अथवा अन्य कोई समकक्ष परीक्षा।

4. फिर भी यदि निर्णय न हो पाये तो आयु में छोटे प्रार्थी को पहले प्रवेश दिया जायेगा ।

9.5 उत्कृष्ट खिलाड़ियों के प्रवेश हेतु नियम

1. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक उत्कृष्ट खिलाड़ी अन्तर महाविद्यालय/अन्तर विश्वविद्यालय चैम्पियनशिप में, अन्तर विश्वविद्यालय क्रीडा प्रतियोगिता में नियमों के तहत, भाग लेने के पात्र होने चाहिए।

2. उत्कृष्ट खिलाडी कोटा के तहत प्रवेश के इच्छुक खिलाड़ियों का प्रवेश वर्ष में एक बार शैक्षिक सत्र के आरम्भ में ही होगा । सामान्य प्रवेश की अन्तिम तिथि के बाद इस सम्बन्ध में कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

3 उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा की सीटों पर प्रवेश के इच्छुक प्रार्थियों में से उन्हीं के आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा, जिन्होंने विश्वविद्यालय या राज्य का अन्तर विश्वविद्यालय या अन्तर राज्य चैम्पियनशिप प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया हो। इस मामले में भी उन खिलाड़ियों को अधिमान दिया जायेगा जिन्होंने विश्वविद्यालय या राज्य का निम्न खेलों मे प्रतिनिधित्व किया हो ।

पुरुष खिलाड़ी – हाकी, फुटबाल, बालीबाल, बास्किट बाल, कबड्डी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंटरी रेस, क्रिकेट, ऐथलेटिकस, भारोत्तोलन, हैंड बाल, चैस, खोखो और जुडो।

महिला खिलाड़ी – हाकी, वालीबाल, बास्किट बाल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ऐथलेटिक्स, और अन्य ऐसी खेलें –पुरूष एवं महिला दोनों वर्ग के लिए – जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की खेल व अन्य गतिविधियों से सम्बन्धित कमेटी अन्तर महाविद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता में समय समय पर शामिल करे ।

4 उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा के तहत प्रवेश के इच्छुक खिलाड़ियों ने वांछित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम प्रवेश पात्रता की शर्तें आवश्यक पूरी की हों ।

5 जिन छात्रों को उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा के अन्तर्गत प्रवेश दिया जायेगा, उनके लिए खेल गतिविधियों में नियमित भाग लेना अनिवार्य होगा

6 उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा के तहत प्रवेश के लिए एक कमेटी का गठन किया जायेगा। प्रवेश देते समय कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखा जायेगा

9.6 उत्कृष्ट सांस्कृतिक कर्मियों के प्रवेश हेतु नियम

1. 7.5 (2) का नियम इस श्रेणी के प्रार्थियों पर भी लागू होगा
2. जो प्रार्थी नौकरी कर रहे हैं, उनको इस श्रेणी के अर्न्तगत प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

3 जिन प्रार्थियों ने पिछले तीन सालों में आयोजित अन्तर–महाविद्यालय युवा उत्सवों में किसी भी सांस्कृतिक विधा में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो, वही प्रार्थी उत्कृष्ट सांस्कृतिक कर्मी कोटे में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। अन्य धरातल समान होने पर उन प्रार्थियों को प्रवेश में अधिमान दिया जायेगा, जिन्होंने अन्तर महाविद्यालय उत्सव अथवा राज्य सांस्कृतिक प्रतियोगिता/उत्सव में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो।

4 सांस्कृतिक कर्मी कोटा के तहत प्रवेश देते समय केवल निम्न विधाओं के सांस्कृतिक कर्मियों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा

(1) वाद–विवाद

(2) भारतीय लोक नृत्य

(3) भारतीय शास्त्रीय संगीत– गायन और वाद्य

(4) सुगम संगीत

(5) वाद्य वादन

(6) समूह गान

(7) भारतीय शास्त्रीय नृत्य

(8) एकांकी / लघु नाटक / स्किट

(9) सिम्पोजियम

(10) कविता व सिम्पोजियम

(11) स्पॉट पेंटिंग

(12) क्विज

(13) पाश्चात्य समूह गान

(14) पाश्चात्य एकल गान

(15) रंगोली

(16) क्ले मॉडलिंग

(17) कविता पाठ

(18) कोलाज

(19) पोस्टर मेकिंग

9.7 प्रवेश देने से इंकार

1. जो प्रार्थी प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं पूरी नहीं करता, वह प्रवेश का अधिकारी नहीं होगा ।

2 यदि किसी छात्र का आचरण पिछले वर्ष असन्तोषजनक रहा है तो उसे भी प्रवेश देने से इन्कार किया जा सकता है, परन्तु ऐसा प्रार्थी कुलपति के पास अपील कर सकता है और कुलपति का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा ।

3 जिस छात्र को निष्कासित किया गया हो उसे कुलपति की पूर्व अनुमति के बिना प्रवेश नहीं दिया जा सकता ।

9.6 प्रवेश में आरक्षण हेतु रोस्टर

आरक्षण को ध्यान में रखते हुए सभी कक्षाओं में प्रवेश रोस्टर निम्न आधार पर होगा

1	26 अ.ज.	51	76	101
2	27 अ.ज.ज.	52 अ.ज.	77	102
3	28	53 अ.ज.ज.	78 अ.ज.	103
4	29	54	79 खि.	104
5	30	55	80 अ.ज.ज.	105
6	31	56	81 स.	106 अ.ज.
7 अ.ज.	32	57	82	107 अ.ज.ज.
8	33 अ.ज.	58	83	108
9	34 वि.	59 अ.ज.	84	109
10	35	60 खि.	85 अ.ज.	110
11	36	61 स.	86	111
12 अ.ज.	37	62	87	112
13 अ.ज.ज.	38 स.	63	88	113 अ.ज.
14	39 अ.ज.	64	89	114
15	40 खि.	65	90	115
16	41अ.ज.ज.	66 वि.	91 अ.ज.	116

17	42	67 अ.ज.ज.	92	117
18 अ.ज.	43	68	93 अ.ज.ज.	118 स.
19 खि.	44	69	94	119 अ.ज.
20 स.	45	70	95	120 अ.ज.ज.
21	46 अ.ज.	71	96	
22	47	72 अ.ज.	97	
23	48	73	98 स.	
24	49	74	99 खि.	
25	50	75	100 वि.	

(विकलांग 3 %) (सांस्कृतिक कर्मी 5%) (खिलाड़ी 5 %)
(अनुसूचित जाति 15%) (अनुसूचित जनजाति 7.5%)

नोट : यह आरक्षण रोस्टर शिक्षा सत्र 2009–2010 से लागू है।
तथा नये कोर्सो के लिए सत्र 2011–2012 से शुरू किया गया।

सूचना: इस विवरणिका में दिये गये नियमों/उपनियमों एवं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला द्वारा मान्य नियमों/उप नियमों में यदि कोई विरोध दिखाई देता है, तो विश्वविद्यालय के नियम ही मान्य होंगे ।

10. रंगनाथन पुस्तकालय

दिसम्बर 1999 में क्षेत्रीय केन्द्र में अलग से रंगनाथन पुस्तकालय की स्थापना की गई। इससे पहले छात्र राजकीय महाविद्यालय, धर्मशाला के पुस्तकालय का ही उपयोग करते थे। पुस्तकालय प्रशासनिक भवन के एक हिस्से में स्थित है इसमें तत्कालिक जरूरत की सामग्री उपलब्ध है तथा पाठकों के बैठने की उचित व्यवस्था है ।

10.1 पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं

पुस्तकालय में पाठकों को विश्वविद्यालय के औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के सहायतार्थ पुस्तकें एवं पत्र–पत्रिकाएं उपलब्ध है । पुस्तकालय में लगभग 15,000 पुस्तकें 50 पत्र–पत्रिकाएं एवं 18 समाचार पत्र नियमित रूप से लिये जा रहे हैं।

10.2 पाठ्य सामग्री का विभाजन

पठन सामग्री को विभिन्न विषयों के अनुसार अलग–अलग उपविभागों में विभक्त किया गया है ताकि पाठकों को अपने विषय सम्बन्धी सामग्री ढूँढने में कोई परेशानी न हो ।

10.3 नियम/विनियम तथा शर्तें

पुस्तकालय का प्रयोग करने के लिए नियम व शर्तें इस प्रकार हैं –

1) कार्य समय : 10 बजे से 5 बजे सांय (सभी कार्य दिवसों में)

2) सभी नियमित छात्र, प्राध्यापक एवं कर्मचारी पुस्तकालय के सदस्य बन सकते हैं

3) **पुस्तकालय पास बुक** : सभी सदस्यों को पुस्तकालय पास बुकें दी जाती हैं जो कि अपरिवर्तनीय हैं । कोई भी दूसरा सदस्य उसका प्रयोग नहीं कर सकता।

4) **पुस्तक गुम हो जाना एवं विलम्ब शुल्क** : अगर कोई सदस्य पुस्तकों को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाता है या उसे गुम कर देता है तो उसे उस पुस्तक की प्रति प्रतिस्थापित करनी पड़ेगी या विश्वविद्यालय पुस्तकालय के नियमों के अनुसार उसकी बढ़ी हुई कीमत भरनी होगी। देरी से वापिस की गई पुस्तकों पर विश्वविद्यालय पुस्तकालय के नियमों के अनुसार विलम्ब शुल्क देय होगा।

5) पुस्तकालय पास बुक गुम हो जाने पर,, नई पास बुक बनाने के लिए 50रु० बतौर जुर्माना राशि जमा करवानी होगी।

11. शुल्क विवरण

अ) प्रवेश के समय लिये जाने वाले शुल्क

1) कॉशन शुल्क (एम.एस.सी. भू–गर्भ शास्त्र) व एम.एस.सी. गणित के छात्रों के लिए — 300-00

2) प्रवेश शुल्क — 150-00
(सभी विषयों में विधि विभाग को छोड़ कर)

3) प्रवेश शुल्क (विधि विभाग / एम.एम.सी.) — 150-00

4) पुस्तकालय सिक्योरिटी — 350-00

5) प्रयोगशाला शुल्क (विधि विभाग) 600-00

6) पुस्तकालय सिक्योरिटी (एल0एल0बी0) — 650-00

ब) वार्षिक शुल्क (यह शुल्क साल में केवल एक बार देने होंगे)

निरन्तरता शुल्क	100-
क्रीड़ा शुल्क	100-
चिकित्सा शुल्क	50-
विद्यार्थी अवकाश गृह शुल्क	20-
छात्र सहायता शुल्क	50-
सांस्कृतिक गतिविधि शुल्क	50-
युवा कल्याण शुल्क	50-
पहचान पत्र शुल्क	50-
कामनरूम शुल्क	20-
पत्रिका शुल्क	50-
रैड क्रास शुल्क	20-
ब्रेकेज शुल्क (केवल एम.एस.सी भू–विज्ञान हेतु)	1000-
कम्प्यूटर शुल्क एम.एससी गणित —	1500-
डेवलपमेंट शुल्क सभी विषयों में —	500-

स) मासिक शुल्क (जो प्रतिमास देय होंगे)

1. एम.एस.सी. (टयूशन फीस) — 200-00
2. एम.ए. (टयूशन फीस) — 150-00
3. एल.एल.बी. (टयूशन फीस) — 150-00
4. डिलोपीटेशन शुल्क — 150-00

डेवलपमेंट शुल्क / विकास शुल्क — 250-00

2400-00

5 समायोजन शुल्क

6 जनसंख्या शिक्षा संस्था

ङ) परीक्षा शुल्क (प्रति सत्र)

1. ~~विधि विभाग व अन्य विभाग~~

2. एम.एस.सी. (गणित व भूगर्भ शास्त्र)

3. एम.एस.सी. / पी.जी.डी.एम.सी.

विशेष प्रभार : यदि विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पंजीकृत नहीं है तो वह रू0 400/– पंजीकरण शुल्क व 15 रू0 खेलकूद शुल्क अलग से देगा।

प्रत्येक पाठ्यक्रम में शुल्क हि०प्र० विश्वविद्यालय शिमला द्वारा तय की गई दरों पर ही होंगे।

नोट :

1 शुल्क क्षेत्रीय केन्द्र के कैश काउन्टर पर जमा होंगे ।

2 वार्षिक शुल्क प्रवेश के समय देने होंगे ।

शुल्क जमा करने की सूचना कार्यालय द्वारा दी जायेगी ।

11.1 शुल्क सम्बन्धी सूचनाएं

1) नियत तिथि पर शुल्क जमा न करवाने वाले छात्रों को प्रतिदिन 10/– रू0 के हिसाब से जुर्माना देना होगा। परन्तु यह जुर्माना ज्यादा से ज्यादा 100/– रू0 तक सम्बन्धित महीने के अन्तिम दिन तक ही हो सकता है ।

2) यदि शुल्क जमा करवाने की सारी समय सीमा समाप्त हो जाती है और छात्र शुल्क जमा नहीं करवाता है तो उसका नाम उस महीने के प्रथम दिन से काट दिया जायेगा जिस महीने की फीस छात्र ने नहीं दी ।

3. नाम कटने के एक साल के भीतर विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर पुनः प्रवेश दिया जा सकता है, इसके लिए छात्र को पुनः प्रवेश शुल्क देना होगा।

4. नाम [illegible] श्रेणी के छात्रों द्वारा जमा करवाई गई फीस निश्चित तिथि के बाद किसी भी सूरत में वापिस नहीं की जाएगी।

12 प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग केन्द्र से ताल्लुक रखने वाली परिचायात्मक पुस्तिकाएं तथा विवरण पत्रिका, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केन्द्र परिक्रमा इत्यादि का प्रकाशन करता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के आवेदन पत्र, प्रपत्र, विश्वविद्यालय के प्रास्पैक्टस, पत्राचार पाठ्यक्रम निदेशालय के प्रास्पैक्टस भी प्रकाशन विभाग में विक्रय हेतु उपलब्ध रहते हैं। प्रकाशन विभाग हि०प्र०वि०क्षे०के० की विवरणिका की रूपरेखा भी तैयार करता है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय केन्द्र से वार्षिक जर्नल (Journal) Himachal Pradesh Journal of Social Sciences भी प्रकाशित किया जाता है। संपादकीय मंडल में निम्नलिखित सदस्य हैं।

मुख्य संपादक – निदेशक प्रो० कुलवंत सिंह राणा

संपादकीय मंडल – डॉ० डी. पी. वर्मा (प्राचार्य, विधि विभाग)

डॉ० ललित डडवाल

डॉ० सन्दीप कुमार

डॉ० मनोज शर्मा

डॉ० मुनीष दुल्टा

डॉ० संजीव कुमार बरागटा

डॉ० डेजी वर्मा

पुस्तकालय

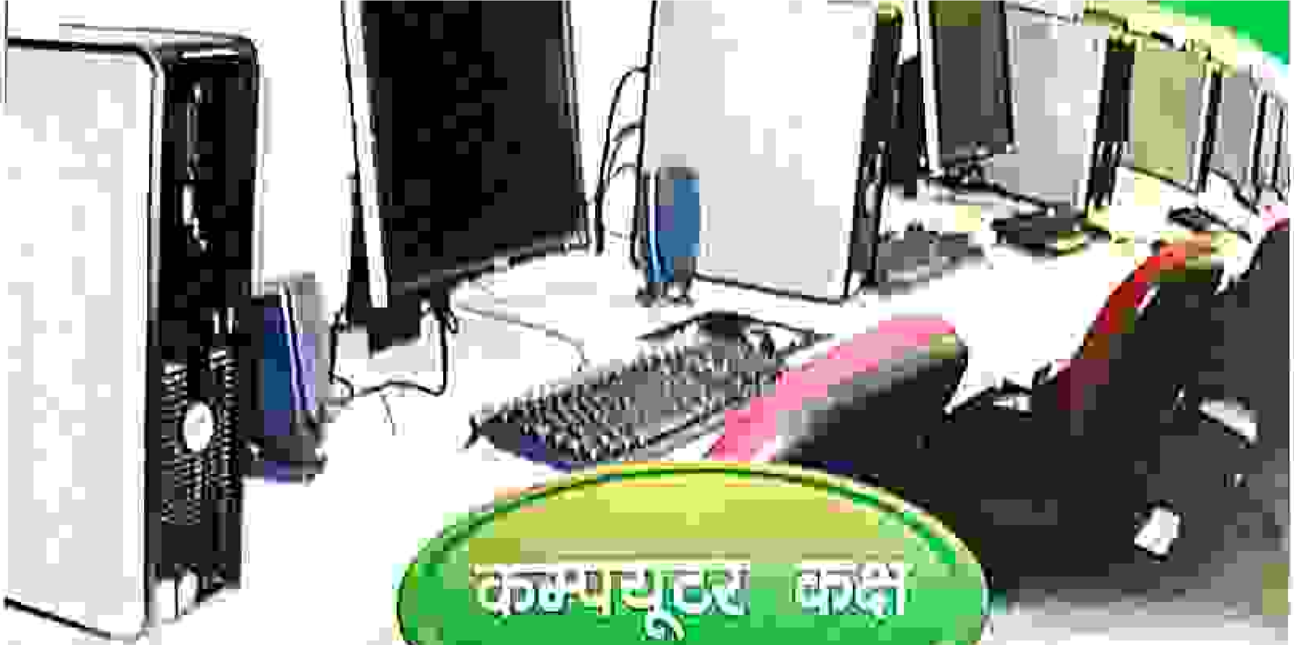

कम्प्यूटर कक्ष

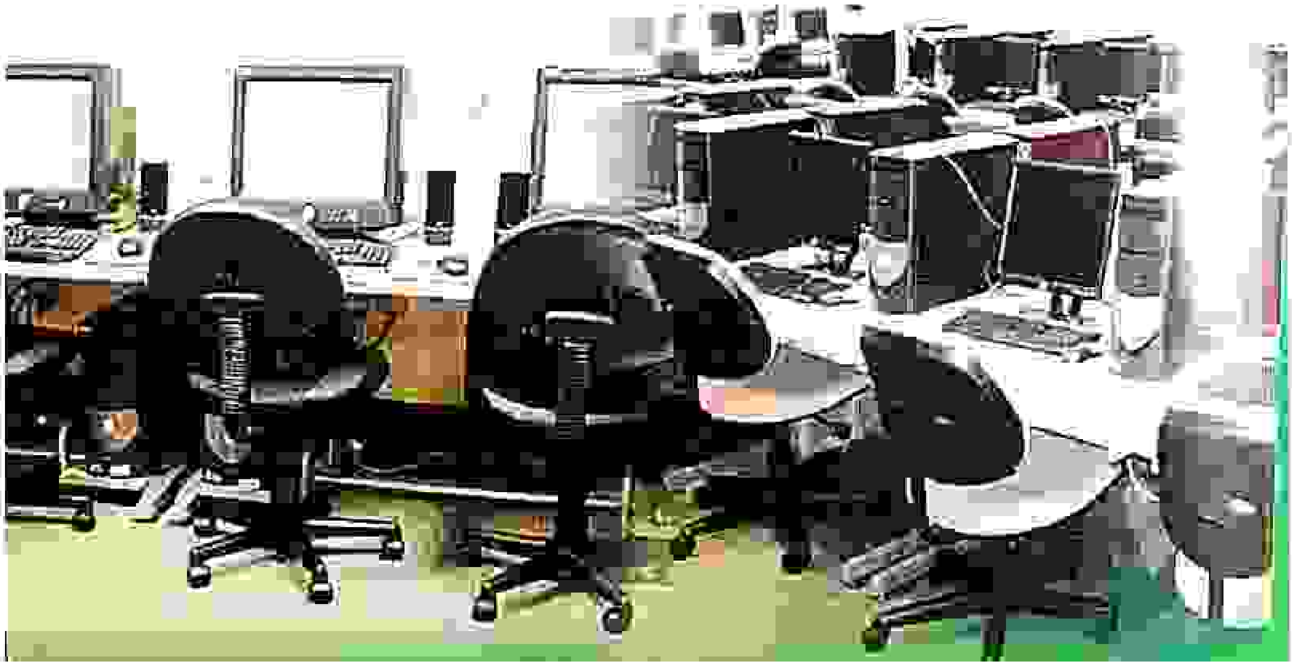

13 शोध कार्य सम्बन्धी सुविधा

क्षेत्रीय केन्द्र में छात्र शोध कार्य के लिए विभिन्न विषयों के प्राध्यापकों से सम्पर्क कर सकते हैं ।

धर्मशाला स्थित लायब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एवं आरकाइव्ज को भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शोध केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान कर रखी है। मध्य एशिया और खासकर तिब्बत सम्बन्धी शोध करने वाले छात्रों के लिए यह पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है । क्षेत्रीय केन्द्र इस पुस्तकालय का संस्थागत सदस्य है। अतः केन्द्र के छात्र इस पुस्तकालय का प्रयोग भी कर सकते हैं।

14. हि॰प्र॰वि॰वि॰ अर्न्तराष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवम् मुक्त अध्ययन केन्द्र (इकडोल)

हि॰प्र॰वि॰वि॰ अर्न्तराष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवम् मुक्त अध्ययन केन्द्र (इकडोल) शिमला का "सूचना एवम् मार्गदर्शन कार्यालय" सत्र 2013–14 से क्षेत्रीय केन्द्र, खनियारा, धर्मशाला में खोला गया है जिसके तहत सीमावर्ती क्षेत्रों के छात्रों को दूरवर्ती शिक्षा सम्बन्धी जानकारी विवरणिका प्राप्त करने का प्रावधान है। इच्छुक छात्र अपना फार्म भरकर इसी कार्यालय में जमा करवा सकते हैं तथा अपने विषय सम्बन्धी जानकारी दूरभाष नं 01892–246111 पर भी प्राप्त कर सकते हैं।

15. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पदाधिकारी

कुलाधिपति	महामहिम श्री कल्याण सिं
कुलपति	आचार्य ए० डी० एन०
प्रति कुलपति	प्रो० राजिन्द्र सिंह चौहान
अध्ययन अधिष्ठाता	प्रो० टी० सी० मल्ला
छात्र कल्याण अधिष्ठाता	प्रो० संजीव महाजन
महाविद्यालय विकास परिषद् अधिष्ठाता	प्रो० सैवा सिंह चौहान
कुलसचिव	प्रो० मोहन झारटा
निदेशक इक्डोल	प्रो० रमेश चन्द कौंडल
वित्त अधिकारी	श्री दिवाकर कमल
परीक्षा नियन्त्रक	प्रो० श्याम कौशल
लोक सपर्क अधिकारी	डॉ० रणवीर वर्मा
निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, धर्मशाला	प्रो० कुलवंत सिंह राणा

16. क्षेत्रीय केन्द्र के महत्वपूर्ण टैलीफोन

क्षेत्रीय केन्द्र कार्यालय व फैक्स	01892-246100
विधि विभाग, क्षेत्रीय केन्द्र	01892-246111(का)
डॉ० धर्म प्रकाश वर्मा, विधि विभाग	
डॉ० ललित डडवाल, विधि विभाग	
डॉ० राजेन्द्र वर्मा, विधि विभाग	
डॉ० रूना मेहता ठाकुर विधि विभाग	
डॉ० विजयेता पठानिया, गणित विभाग	
डॉ० तिलक राज शर्मा, गणित विभाग	
डॉ० संदीप कुमार, अर्थशास्त्र विभाग	
डॉ० मनोज शर्मा, वाणिज्य विभाग	
डॉ० मुनीष दुल्टा, लोक प्रशासन विभाग	
डॉ० डेजी वर्मा, अंग्रेजी विभाग	
डॉ० संजीव बरागटा, राजनीति शास्त्र	
क्षेत्रीय केन्द्र ई-मेल	hpurcd@gmail.com

17. संकाय सदस्य

प्रो० कुलवंत सिंह राणा — निदेशक (कार्यकारी)

विधि विभाग

डॉ० धर्म प्रकाश वर्मा	एल.एल.एम.–(हि०प्र०), पी.एच.डी.–(हि०प्र०)	
डॉ० ललित डडवाल	एल.एल.एम.–(हि०प्र०), पी.एच.डी.–(हि०प्र०)	
डॉ० राजेन्द्र वर्मा	एल.एल.एम.–(हि०प्र०), पी.एच.डी.–(हि०प्र०)	प्रतिनियुक्ति पर हि०प्र०वि०वि० शिमला
डॉ० रूना मेहता ठाकुर	एल.एल.एम.–(हि०प्र०), पी.एच.डी.–(हि०प्र०)	

गणित विभाग

डॉ० विजयता पठानिया	एम.एस.सी., एम.फिल., पी.एच.डी. (गणित–हि०प्र०)
डॉ० तिलक राज शर्मा	एम.एस.सी. (गणित–हि०प्र०), बी.एड. एम.फिल. (गणित–हि०प्र०), पी.एच.डी. (गणित–हि०प्र०)

लोकप्रशासन विभाग

डॉ० मुनीष दुल्टा	एम.ए., एल.एल.बी., पी.एच.डी (हि०प्र०)

भूगर्भ विज्ञान विभाग

अर्थशास्त्र विभाग

डॉ० संदीप कुमार	पी.एच.डी. (अर्थशास्त्र)

वाणिज्य विभाग

डॉ० मनोज शर्मा	पी.एच.डी. (वाणिज्य)

राजनीति विभाग

डॉ० संजीव कुमार बरागटा	एम.ए. (राजनीति शास्त्र, पंजाब वि०वि०), पी.एच.डी. (राजनीति शास्त्र) (हि०प्र०)

अंग्रेजी विभाग

डॉ० डेजी वर्मा	एम.ए. (अंग्रेजी–हि०प्र०), बी.एड., एम.एड., एम.फिल. (अंग्रेजी–हि०प्र०) पी.एच.डी.

(इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में अतिथि संकाय के अन्तर्गत विभिन्न अध्यापकों की सहायता ली जा रही है।)

18. रैगिंग सम्बन्धी प्रावधान

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केन्द्र धर्मशाला में रैगिंग को रोकने के लिए और तद सम्बन्धी शिकायतों के निपटारे के लिए शिक्षा सत्र 2015–2016 में निम्न कमेटी का गठन किया गया है ।

18.1 क) डॉ० ललित ढडवाल, विधि विभाग – संयोजक
ख) डॉ० तिलक राज शर्मा, गणित विभाग – सदस्य
ग) डॉ० संजीव कुमार बरागटा, राजनीति शास्त्र – सदस्य

18.2 केन्द्र में रैगिंग पूरी तरह प्रतिबन्धित है और इस अपराध में संलिप्त पाये गये छात्रों पर कानून के अनुसार कार्यवाही की जायेगी । इसमें अभियुक्त को कैद हो सकती है या फिर जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों ही सजायें हो सकती हैं । अपराधी छात्रों को संस्थान से निष्कासित भी किया जा सकता है, निलम्बित भी किया जा सकता है । उन्हें एक निश्चित अवधि तक कक्षाएं लगाने से रोका जा सकता है। यदि ऐसे छात्रों को छात्रवृति मिल रही हो तो उसे बंद किया जा सकता है। ऐसे छात्रों को केन्द्र की अन्य गतिविधियों में भाग लेने से रोका भी जा सकता है। उसका परीक्षा परिणाम भी रोका जा सकता है। उसे सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी होगी।

Kulgeet–The University Anthem

Adorned with the holy Veda Mantras
The abode of the gods nestles the novel Nalanda
Himachal University
The jewel of myriad learning
Victory to you !

The land where deities abide, a hundred pilgrimages invite
The land of mountain culture where dance and song entice
The land where the Ravi-Vipasha-Chandrabhaga -
And Sutlej weave a garland bright

Rishi Mandavya's a sacred land, is alive with learning and purity
Himachal University
The jewel of myriad learning
Victory to you !

As far as the eyes can behold the glorious Dhauladhars unfold
The radiant rays of knowledge irradiate every hill and fold
As the feet sway to the Nati and lips sing the Chamba songs
The goddess Sharada herself appears in incarnate form

Fearless with the mantra of *Shastrey cha Shastrey Kaushalam*
Himachal University
The jewel of myriad learning
Victory to you !

The ascetic deodar trees stand with equanimity
Reminiscent of the Buddha in their calm tranquillity
They offer ceaselessly, missives of sweet amity
Himachal's supreme dignity, the seat of erudition –
Of Art and Science, Technology and Ability

Marching steadily on, like the risen sun of dawn
Himachal University
The jewel of myriad learning
Victory to you !

आवेदन की अन्तिम तिथि

1.	एल.एल.बी	30 अप्रैल, 2015
2.	अन्य सभी पाठ्यक्रमों हेतु	30 जून, 2015

Imperial @ 222390